न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 86/21 (वि.प्रा.पत्र)

GCMS NO. :- 2021/835

1. श्री देवीदास पुत्र श्री बालुदास वैरागी, निवासी बरोडिया, तह. भीण्डर, जिला उदयपुर राज0।

..........प्रार्थी

बनाम्

1. श्री पृथ्वीराज पिता श्री मोडा रावत, निवासी खडोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्री दीपलाल पिता श्री मोडा रावत, निवासी खडोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0)।
3. श्री उमाशंकर पिता श्री मोडा रावत, निवासी खडोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0)।
4. श्री राडीलाल पिता श्री सुखलाल रावत, निवासी खडोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0)।
5. श्री लोगरलाल पिता श्री सुखलाल रावत, निवासी खडोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0)।
6. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी भीण्डर।

..........विपक्षी

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री मुकेश कुमार डांगी अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार डांगी अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.))

–: निर्णय :–

दिनांक 16.08.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खड़ोदा पटवार क्षेत्र बरोड़िया भू–अभिलेख क्षेत्र बड़गांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की अ... 1412, 1413 कुल किता 05 क्षेत्रफल 2.5900 हेक्ट...

2. यह कि इस प्रार्थना पत्र की क... प्रार्थी ही ए... खातेदार काश्तदार होकर आधिपत्यधारी है एवं इस भूमि में प्रार्थी के अलाव...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:56:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

Scanned by CamScanner

अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार, आधिपत्य, स्पत्व इत्यादि नहीं है।

3. यह कि इस प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि के विपक्षी संख्या 1 से 5 पडौसी है तथा प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 के बीच में सीमा संबधि विवाद होते रहते है, जिससे प्रार्थी अपनी भूमि का सही ढ़ंग से विकास नहीं कर पर रहा है। प्रार्थी अपनी भूमि का सीमांकन करा कर एवं पत्थरगडी करा कर अपनी भूमि की सीमा पर तारबंदी इत्यादि करवाना चाहता है, जिससे प्रार्थी अपनी भूमि में अच्छी तरह से विकास कर सकें एवं कृषि कार्य कर सकें तथा भविष्य में कभी भी सीमा संबधि विवाद नहीं रहे।

4. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि का नियमानुसार सीमांकन किया जाकर पक्की पत्थरगडी कराये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 6 उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है।

6. प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 5 के बीच सीमा संबन्धित विवाद होने कि बात झूठी लिखी गई है। विपक्षीगण व प्रार्थी के बीच सीमा संबन्धित कोई विवाद नहीं हुआ है बल्कि प्रार्थी विपक्षीगण के खातेदारी कि आराजी को जोर जबरदस्ती तरीके से हडपना चाहता है। बकाया कथन गलत होने से अस्वीकार है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

7. यह कि प्रार्थी ने झूठे आधारों का संकलन कर विपक्षीगण के विरूद्ध झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा सही तरीके से सही आधारों पर अपना प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का प्रस्तुत करता तो वह अपने आराजी कि चारों दिशाओ के चारों पडोसीयों के सभी खातेदारान को पक्षकार मुकदमा बनाता जिससे प्रार्थी कि खातेदार आराजी कि किस दिशा कि जमीन कि वह पत्थरगढी करवाना चाहता है उसका स्पष्ट अंकन अपने प्रार्थना पत्र में करता जबकि प्रार्थी द्वारा केवल मात्र हम विपक्षीगण को ही पक्षकार मुकदमा बनाकर झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सव्यय खारीज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:56:32 IST
Reason: SelfAttested

8. यह कि प्रार्थी द्वारा अपने पत्थरगढी कि प्रार्थना पत्र में अपने आराजी के चारों दिशाओं में किस दिशा में कौन पडोसी है उसका अंकन व वर्णन नहीं किया है। तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में हम विपक्षीगण के अन्य यह खातेदार को

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

पक्षकार मुकदमा भी नहीं बनाया है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र पक्षकारों के असंयोजन का दोष होने से प्रार्थना पत्र संव्यय खारीज होने योग्य है।

9. यह कि प्रार्थी द्वारा केवल मात्र हम विपक्षीगण कि खातेदारी कि आराजी को जोर जबरन तरीके से हडपने कि नियत रखता है। इसी नियत से प्रार्थी द्वारा उक्त झूठा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधारों पर होने से संव्यय खारीज होने योग्य है।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं हाने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर (राज.)

—: आदेश :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खड़ोदा पटवार क्षेत्र बरोड़िया भू—अभिलेख क्षेत्र बड़गांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की खाता संख्या 137 नया, पुराना 353 की आराजी नम्बर 1409, 1410, 1411, 1412, 1413 कुल किता 05 क्षेत्रफल 2.5900 हेक्टर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 500/— पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:56:32 IST
Reason: SelfAttested

16/8/22

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला उदयपुर

Scanned by CamScanner